(70)

<u>न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंण्डल ग्वालियर</u>

<u>निगरानी प्र0क0-......../13-14</u>

20 COURT FEE 20
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

736
27.12.13

काशी उर्फ कुशवाहा तनय् हीरालाल कुशवाहा निवासी ग्राम चितहरा तहसील मझगवां जिला सतना ..............................निगराकार

बनाम

अर्जुन पिता भवानीदीन सिंह गोड निवासी ग्राम चौरेही तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0................गैरनिगराकार

R-633-II/14

श्री.........द्वारा आज दिनांक 27.12.13 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मंण्डल मझगवां तहसील मझगवां जिला सतना म0प्र0 के रा0प्र0क0- 48 /ए -12/12-13मे पारित आदेश दिनांक 11/06/13

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

<u>प्रकरण के तथ्य</u>

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार आराजी खसरा नं0-554 रकवा 0.745हे0, नं0-555 रकवा 1.566हे0, 557 रकवा 0.709हे0, वाका मौजा चौरेही प0ह0चितहरा तहसील मझगवां जिला सतना का भूमि स्वामी है इस आराजी के अन्दर अंश रकवा मे निगराकार का मकान बना है एवं कुछ भाग मे फलदार बृक्ष लगे है शेष रकवा मे मै खेती,कास्तकारी करता है आराजी के अन्दर कूप भी निर्मित है एवं नाली भी बनी हुई है । निगराकार की आराजी से लगी गैरनिगराकार की आराजी नं0-551/2 इसी मौजे मे है जिसके संबंध मे निगराकार के द्वारा अन्य आराजियात के साथ सीमांकन का आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष निगराकार की ज्ञानता के बिना दिया गया

---2

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

[redacted]ण क्रमांक R633-II/14 जिला–सतना

**काशी प्रसाद कुशवाहा/ अर्जुन सिंह गोड़**

| (1) | (2) | (3) |
| --- | --- | --- |
| 05/8/19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामनरेश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल मझगवां, तहसील मझगवां के प्रकरण क्रमांक 48/ए–12/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 11.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(महेशचन्द्र चौधरी),<br>सदस्य | |